न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 70/2016
(जीसीएमएस संख्या 2016/00172)

निर्णय दिनांकः– 17-07-2025

1. बगे खां पुत्र सदु खां जाति मुसलमान निवासी चक 3 डीएसएम तहसील छत्तरगढ जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. शारदा देवी पत्नी रूपाराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 डीएसएम ग्राम खारबारा तहसील छत्तरगढ जिला बीकानेर।
2. सीतादेवी पत्नी फुलाराम जाति बावरी निवासी चक 3 डीएसएम ग्राम खारबारा तहसील छत्तरगढ जिला बीकानेर।
3. काशीराम पुत्र नेतराम जाति मेघवाल निवासी जगदेववाला तहसील व जिला बीकानेर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 04–06–2015
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ

उपस्थितिः–

1. श्री संतनाथ योगी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 27–05–2015 जिसके द्वारा अपीलांट के मुरब्बे में स्थित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर स्माल पेच आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट के धारण में तहसील छत्तरगढ के चक 3 डीएसएम के मुरब्बा नम्बर 208/28 व मुरब्बा नम्बर 208/36 की भूमि है। मुरब्बा नम्बर 208/28 के किला नम्बर 13, 14, 16 ता 19, 21 ता 25 तादादी 9.04 बीघा अनकमाण्ड भूमि अराजीराज दर्ज रिकोर्ड भूमि थी जिस पर अपीलांट का कब्जा चला आ रहा था। अपीलाधीन अराजी अपीलांट के मुरब्बे में स्थित होने से उक्त भूमि आवंटन करवाने का प्रथम हकदार अपीलांट था तथा अपीलांट की ही प्रथम वरीयता बनती थी मगर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से सांठ–गांठ करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के धारण में मुरब्बा नम्बर 208/29 की भूमि होते हुए भी अपीलाधीन अराजी का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया तथा ना ही नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नोटिस की पुष्ट पर यह जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस अपीलांट को जारी किया गया है उक्त नोटिस अदम तामील की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ है उसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को रजिस्टर्ड नोटिस जारी नहीं किया गया जो विधि के अनुकुल नही है। अपीलांट के धारण में उसी मुरब्बे में भूमि होने से प्रथम वरीयता अपीलांट की थी एवं यदि अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता तो आवंटित भूमि जरिये नीलामी आवंटित की जाती जिससे राजस्व फायदा होता। ऐसे में स्मालपेच आवंटन नियमों के विरूद्ध किया गया आवंटन निरस्त येाग्य होने से अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

आगे अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियांद पर कथन किया गया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रदान किये बिना पारित किया गया है एवं ऐसे एकतरफा तौर पर पारित आदेशों में मियांद अधिनियम बाधक नहीं होता है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मौके पर आने से हुई तथा प्रथम जानकारी से बिना विलम्ब किये अपीलांट द्वारा अपील अंदर मियांद प्रस्तुत कर दी गई। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियांद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियांद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाकर अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया गया कि प्रस्तुत अपील स्पष्ट तौर पर मियादं बाहर प्रस्तुत की गई है तथा अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किये है वो संतोषजनक कारण नही है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में यह तथ्य भी अंकित नहीं किया है कि अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी किस दिनांक को हुई थी। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया जाना कि अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से हुई थी, स्वीकार योग्य कथन नहीं है क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कभी भी अपने आवंटन का कथन अपीलांट से नहीं किया था। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तमाम तथ्य झूठे व मनगढत होने से अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे।

आगे अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 20—12—2013 को स्माल पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील स्तर से वादगत भूमि की रिपोर्ट प्राप्त की गई उक्त रिपोर्ट में वादगत भूमि शुद्ध रूप से अराजीराज होने, विवादग्रस्त नहीं होने, किसी अन्य श्रेणी में आरक्षित नही होने, अनिवार्य वन पट्टी का नहीं होने तथा अन्य किसी श्रेणी हेतु प्रस्तावित नहीं होने एवं वादगत भूमि बाबत केवल मात्र रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र होने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है। रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आवंटन होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आवंटित भूमि की समस्त राशि खजानाराज में जमा करवाई जा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

चुकी है एवं मौके पर अपीलांट काबिज काश्त होने से तथा राजस्व रिकोर्ड में अंकन भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 होने से वादगत भूमि पर रेस्पोडेन्ट के अधिकार स्थापित हो चुके है ऐसी स्थिति में अब अपीलांट किसी प्रकार का कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व समीपस्थ काश्तकारों को नोटिस प्रेषित किये है जिसकी प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। अपीलांट की पत्नी ने नोटिस लेने से इंकार किया है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 22 का नोटिस प्रस्तुत किया गया है जिससे यह साबित है कि अपीलांट को अपीलाधीन अराजी होने का ज्ञान था। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन अराजी को आवंटन करवाने बाबत किसी प्रकार का कोई प्रार्थना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में केवल मात्र अपीलांट का आवंटन हेतु आवेदन पत्र होने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्मालपेच आवंटन नियमों के तहत अराजी का आवंटन करने से अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1993 पेज 525, आरआरडी 2014 पेज 249 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में सर्वप्रथम मियांद प्रार्थना पत्र को तय किया जाना है। अपीलांट का यह कथन है कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किये जाने एवं अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी से अपील अंदर मियांद प्रस्तुत किये जाने से अपील अंदर मियादं शुमार की जावे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना में तथ्य झूठे एवं मनगढत होने से अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज की जावे। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब मियांद प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। जहां अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है वहीं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा .

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपने जवाब में काउण्टर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में यह कथन किया जाना कि अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन आदेश प्राप्त करने हेतु नकल प्रार्थना पत्र दिनांक 24–06–2016 को प्रस्तुत किया तथा दिनांक 29–06–2015 को अपील प्रस्तुत किया जाना अपने आप में झूठा कथन है इस संबंध में न्यायालय का अभिमत है कि अपीलांट द्वारा वर्णित इस कथन में टंकण त्रुटि ही कारित की गई है क्योंकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–06–2015 को पारित किया गया है एवं यदि अपीलांट द्वारा अपील 29–06–2015 को ही प्रस्तुत कर दी जाती तो अपील अंदर मियादं ही होती। विधि का भी यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो वहां तकनीकी बिन्दुओं को गौण रखते हुए गुणावगुण पर बढना चाहिए। अतः उपरोक्त विधिक सिद्धान्त एवं अपीलांट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को दरगुजर किया जाकर अपील अंदर मियांद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण में गुणावगुण का प्रश्न है, इस संबंध में सर्वप्रथम स्मालपेच आवंटन के नियम का अवलोकन किया गया। ाजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 14 के अनुसार {1}"Notwithstandin anything to the contrary contained in these rules, small patch of Government land may be allotted, to a tenure tenant whose tenure land adjoins such patch, subject to the ceiling area at the index price for land of a similar soil class in the neighbourhood.

Provided that if the tenant of the adjoining land fails to apply for the allotment of small patch, the Allotting Authority shall make arrangement for making allotment of such small patch to the tenure tenant of the same chak or of the adjoining chak."

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

{2} In case more than one tenants apply for allotment of same small patch, allotment shall be made to the tenant of same murabba.

उक्त प्रावधान के आलोक में यह स्पष्ट है कि स्मालपेच भूमि के आवंटन हेतु प्रथम वरीयता उसी समान मुरब्बे के चिपते काश्तकार की होती है जिस मुरब्बे में आवंटन योग्य भूमि होती है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को चिपती अराजी होने के आधार पर अपीलाधीन अराजी आवंटित की है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नजरी नक्शे के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवंटित भूमि मुरब्बा नम्बर 208/28 की है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के धारण में भूमि मुरब्बा नम्बर 208/29 में स्थित है जबकि अपीलांट की भूमि आवंटित भूमि के मुरब्बे में ही स्थित है। इससे यह स्पष्ट है कि आवंटित अपीलाधीन अराजी में प्रथम वरीयता अपीलांट की थी।

इसके अलावा जहां तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/चिपते काश्तकारों को नोटिस प्रदान किये जाने का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नोटिस के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट को जो नोटिस प्रेषित किया गया था वो अदम तामील रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ है उसके पश्चात भी अपीलांट को किसी प्रकार का रजिस्टर्ड नोटिस जारी नहीं किया गया है। उक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि अपीलांट की सम्यक तामील नही करवाने एवं अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किये जाने से अपीलाधीन आदेश द्वारा किया गया आवंटन राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 14 के प्रावधानों के अनुरूप ना होने के कारण पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–06–2015 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ को इस निर्देश के साथ

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए वादगत भूमि बाबत पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 17-07-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर